मानव रहति वमिान प्रणाली नयिम, 2020

प्रीलम्सि के लयि:

ड्रोन, नागर वमिानन महानदिशालय

मेन्स के लयि:

मानव रहति वमिान प्रणाली नयिम, 2020 से संबंधति तथ्य

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नागर वमिानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) ने मसौदा 'मानव रहति वमिान प्रणाली नयिम, 2020' [Unmanned Aircraft System (UAS) Rules, 2020] को अधसिूचति कयिा है।

प्रमुख बदिु:

- गौरतलब है कि केंद्र सरकार द्वारा मानव रहति वमिान के उत्पादन, आयात, व्यापार, स्वामत्वि और संचालन को वनियिमति करने हेतु नयिम अधसिूचति कयिा गया है।
- नागर वमिानन मंत्रालय ने 30 दनिों के भीतर मसौदा 'मानव रहति वमिान प्रणाली नयिम, 2020' पर सार्वजनकि टप्पिणयिाँ आमंत्रति की हैं जसिके बाद अंतमि नयिम जारी कयि जाएंगे।

मसौदा नयिम:

- नागर वमिानन महानदिशालय (Directorate General of Civil Aviation- DGCA) द्वारा अधकिृत कसिी संस्था या व्यक्तिको ही कसिी अधकिृत वनिरि्माता से उपकरणों के खरीद की अनुमतहिोगी।
- मसौदा नयिम के तहत केवल नैनो ड्रोन को ही भारत में संचालति करने की अनुमतहिै।
- मसौदा नयिम के अनुसार, केवल योग्य पायलट द्वारा ही भारी ड्रोन को संचालति करने की अनुमतहिोगी।
- वैध बीमा पॉलसिी होने की स्थतिमिें ही मानव रहति वमिान प्रणाली से कार्य लयिा जाएगा।
- ड्रोन का पेलोड नागर वमिानन महानदिशालय द्वारा नरि्धारति मानक के अनुरूप ही होना चाहयि।
- कसिी भी व्यक्तिको आपातकालीन स्थतिकि अलावा ड्रोन से कसिी भी वस्तु को लैंड कयि बनिा डलीवरी की अनुमतनिहीं होगी।
- ड्रोन से हथयिार, गोला-बारूद, वसि्फोटक वस्तुएँ, इत्यादकिो ले जाने की अनुमतनिहीं है।
- **स्वामत्वि:**
  - ड्रोन के मालकि और ड्रोन को संचालति कर रहे व्यक्तिकी आयु कम-से-कम 18 वर्ष होनी चाहयि।
  - ड्रोन से संबंधति कसिी भी तरह की कंपनी भारत में स्थापति होनी चाहयि एवं अध्यक्ष और कम-से-कम दो तहिाई नदिशक भारतीय नागरकि होने चाहयि।

ड्रोन (Drone):

- ड्रोन एक प्रकार का फ्लाइंग रोबोट (Flying Robot) होता है, जसि मनुष्यों द्वारा नयिंत्रति कयिा जाता है। इसकी खोज मनुष्यों ने अपने दैनकि कार्यों के संपादन के लयि की थी, परंतु वर्तमान में इसका प्रयोग खुफयिा जानकारी प्राप्त करने हेतु भी काफी व्यापक स्तर पर कयिा जा रहा है।
- ड्रोन को मानव रहति वमिान (Unmanned Aerial Vehicle-UAV) भी कहा जाता है।
- **ड्रोन के प्रकार:**
  - नैनो ड्रोन- वे ड्रोन जनिका वजन 250 ग्राम तक होता है।
  - सूक्ष्म ड्रोन- वे ड्रोन जनिका वजन 250 ग्राम से अधकि लेकनि 2 कलिो ग्राम से कम होता है।
  - लघु ड्रोन- वे ड्रोन जनिका वजन 2 कलिोग्राम से अधकि लेकनि 25 कलिोग्राम से कम होता है।

- मध्यम ड्रोन: वे ड्रोन जिनका वजन 25 किलोग्राम से अधिक लेकिन 150 किलोग्राम से कम होता है।
- विशाल ड्रोन: वे ड्रोन जिनका वजन 150 किलो ग्राम से अधिक होता है।

ड्रोन के इस्तेमाल के लाभ:

- ड्रोन, आधुनिक युग की तकनीक का एक नया आयाम है जिसे आसानी से किसी भी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है
- ड्रोन उन स्थानों पर भी आसानी से पहुँच सकता है, जहाँ जाना इंसानों के लिये अपेक्षाकृत मुश्किल होता है या पूर्णतः असंभव होता है, अतः ड्रोन की यह विशेषता उसे आपदा प्रबंधन में प्रयोग करने के लिये भी एक अच्छा विकल्प बनाती है।
- ड्रोन के प्रयोग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे न केवल लागत में कमी आती है, बल्कि समय की भी काफी बचत होती है, क्योंकि इसे सामान्यतः ट्रैफिक अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता, साथ ही इसके प्रयोग से कंपनियों की श्रम लागत भी काफी कम हो जाती है।

ड्रोन के इस्तेमाल से नुकसान:

- ड्रोन एक मशीन है और अन्य मशीनों की तरह इस पर भी यही खतरा बना रहता है कि इसे आसानी से हैक (Hack) किया जा सकता है। हैकर आसानी से इसकी नियंत्रण प्रणाली (Control System) पर हमला कर ड्रोन को नुकसान पहुँचा सकता है एवं गोपनीय जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है।
- यदि ड्रोन जैसी तकनीक असामाजिक या आपराधिक तत्त्वों के पास पहुँच जाती है तो वह काफी खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि ड्रोन के सहारे न सिर्फ जासूसी की जा सकती है बल्कि आवश्यकता पड़ने पर इसके सहारे हमला भी किया जा सकता है।
- इसके अतिरिक्त ड्रोन के उड़ान भरते समय पक्षियों से टकराने का भी खतरा रहता है।

स्रोत: लाइव मिंट

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/no-drone-can-now-fly-without-registration-third-party-insurance

दृष्टि The Vision